

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के यूट्यूब पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सजा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिसिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ANJALI COLLEGE OF PHARMACY AND SCIENCE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

कार्यालय,

उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविध/परिषद संघो/सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ- दिनांक: 15/12/2022

:-कार्यालय भाव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचिक संख 2022-23 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संसदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिती द्वारा संख 2022-23 हेतु अर्जित नई संसदों को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संसदों को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता सुदृढ सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए संख 2022-23 हेतु सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिती द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संसदों को सम्बद्धता पर लखनऊ पीसीआईओ द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआईओ के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2022-PCIA(Approval Process 2022-2023)/14705-09 दिनांक 03-नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रथम संसदों से पूर्ण से इतिहास किये के निराकरण का विवरण एसओआईएफओ पर अपलोड कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर संपन्न पत्र दक्षित करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अतिरिक्तों के साथ-साथ संपन्न पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस चर्चे के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संसद के निरीक्षण के समय एसओआईएफओ का सत्यापन कराता होगा।

संघ का कोड एवं नाम : 1327-ANJALI COLLEGE OF PHARMACY AND SCIENCE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा संख 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख 2022-23 हेतु प्रदान संचालित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु चर्चे

- ✓ संसद एसओआईएफओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी चर्चों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेटर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत साक्षात्देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्वीड पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षन द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षात्देश प्रकटी होने, और सन्तुष्टार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। एनिस निर्धारण समिती द्वारा यदि संख 2022-23 हेतु एनिस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो एनिस की नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संसद में सन्तुष्टा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संसद को समय-समय पर निर्गत साक्षात्देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराता होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले विधि/नियमों/अधिनियमों/सामान्यदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद टायर किया जाता है तब टायर वाद के संबंध में मा. ग्याजलस द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्ग प्रवेशी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अशुद्ध नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपर्युक्त कठोरता उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के ओपक स्वतंत्र निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिथि में नियमानुसार अनुसूचनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद संदर्भ संख्या/2022/16771-19958

15/12/2022

प्राथमिक शिक्षा

प्रधानकार्यालय/निदेशक, ANJALI COLLEGE OF PHARMACY AND SCIENCE




(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

8/12/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ANJALI COLLEGE OF PHARMACY AND SCIENCE, Agra-Firozabad Road, NH-2, Etmadpur, Agra, UP 283202



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव